न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 172/2021 दायर दिनाँक 26.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. घासीराम पुत्र बंशी जाति रेगर उम्र 48 वर्ष निवासी मामड़ोदा हाल निम्बी खुर्द, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चुनाराम पुत्र बंशी जाति रेगर निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप तहसील डीडवाना, नागौर 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री रघुवीर सिंह व सुनिल शर्मा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातदेरी का वर्तमान खेत खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 कुल रकबा 6.58 हैक्टे0 भूमि वाकै सरहद मामड़ोदा तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य वहामी बंटवारा पूर्व मं हो चूका है जिसके अनुसार वादी के हक में खेत खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0 भूमि तथा प्रतिवादी सं0 1 के हक में खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 भूमि पारिवारिक बंटवारा अनुसार आपसी बंट में आयी, उसी अनुरूप वादी व प्रतिवादी सं0 01 अपने—अपने बंट सुदा भूमि पर कब्जा काबिज है व काश्त स्वामित्व भी मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 के पास उक्त बंटवारे अनुसार ही मौजुद है। चूंकि कानुनी रूप से बंटवारा नही होने की गरज से प्रतिवादी सं0 01 ने बाला—बाला तौर पर वादी की बंट सुदा भूमि पर भी संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं0 02 से ऋण लेकर वादी की बंट सुदा भूमि को रहन रख दिया, इसका वादी को दिनांक 15.07.2021 को खातेदारी कि जमाबन्दी नकल लेने से हल्का पटवारी मामड़ोदा से हुई जिसका उलाहना वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 16.07.2021 को दिया तो प्रतिवादी सं0 01 ने वादी की बंट सुदा भूमि खेत खसरा सं0 84 में आकर एलानिया धमकी दी कि अभी तो सिर्फ खेत गिरवी रखा है, जल्द ही तुझे तेरे हिस्से से महरूम करके रहुंगा, मेरी उपर तक पहुंच है। प्रतिवादी सं0 1 वादी को अजहद नुकसान पहुंचाने की गरज से व वादी के हक अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दिनांक 16.07.2021 को देने से वादी के हक हिस्सा की भूमि में कब्जा काश्त से महरूम करने की गरज से प्रतिवादी सं0 1 आमदा है। जिससे वादी के हक अधिकारों पर भारी क्लाउडस् छा गये है यदि प्रतिवादी सं0 1 वादी के हक हिस्सा की भूमि का बैचाण कर देता है तो वादी को अजहद नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से करना संभव नही है। इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा व खेत का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के तहत बंटवारा का वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न है:-

उपरोक्त वाद में वर्णित वर्तमान खेत खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 कुल रकबा 6.58 हैक्टे0 भूमि वाकै सरहद मामड़ोदा तहसील डीडवाना की भूमि से वादी व प्रतिवादी सं0 01 के मध्य कानुनी रूप से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् से किया जाकर उक्त खसरान की भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 01 के सम्पूर्ण हक हिस्सा की भूमि की पृथक खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक में संयुक्त में घोषित की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद कराया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मामड़ोदा के वर्तमान खेत खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 कुल रकबा 6.58 हैक्टे0 भूमि में से खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी वादी के हक हिस्से में तथा खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के हक हिस्से में घोषित की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाती है। मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप का ऋण प्रतिवादी सं0 01 के जिम्मे यथावत रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 172/2021 दायर दिनॉंक 26.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. घासीराम पुत्र बंशी जाति रेगर उम्र 48 वर्ष निवासी मामड़ोदा हाल निम्बी खुर्द, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चुनाराम पुत्र बंशी जाति रेगर निवासी मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. प्रवन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप तहसील डीडवाना, नागौर 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनॉंक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीर सिंह व सुनिल शर्मा वकील वादी की तरफ से की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मामड़ोदा के वर्तमान खेत खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 कुल रकबा 6.58 हैक्टे0 भूमि में से खसरा सं0 84 रकबा 3.34 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी वादी के हक हिस्से में तथा खसरा सं0 292 रकबा 0.02 हैक्टे0 व खसरा सं0 293 रकबा 3.22 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के हक हिस्से में घोषित की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाती है। मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप का ऋण प्रतिवादी सं0 01 के जिम्मे यथावत रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		
मिजान					

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का जो इजराय के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner